संख्या–212 / आठ–5–09–199ई / 98

प्रेषक,

हरमिन्दर राज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(2) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

अवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 2009

विषय :–उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रू0 13500 से कम है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था इस शर्त के साथ लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि उपर्युक्त व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 1996 से काल्पनिक आधार पर लागू करते हुए उसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य होगा :–

(अ) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी अधिवर्षता आयु 58 वर्ष हो अथवा जो 58 वर्ष पर अधिवर्षता का विकल्प दें और जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 13500 से कम है :–

प्रथम वेतनवृद्धि (1) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो एक पद पर आठ वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते है, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन, ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतनवृद्धि स्वीकृति की जाय।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान (2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 06 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक

सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हो, को प्रोन्नत का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिये प्रोन्नत का कोई पद नही है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्ति रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 04 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान की अनुमन्यता अधिकारी/कर्मचारी का संबंधित पद पर नियमित होना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तो की पूर्ति पर भी संबंधित पद पर नियमित होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

द्वितीय वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर–1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते है, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवावधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 04 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त उसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर–1 (3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 05 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

(ब) ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी अधिवर्षता आयु 60 वर्ष हो अथवा जो 60 वर्ष पर अधिवर्षता का विकल्प दें और जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 13500 से कम है :–

—3

प्रथम वेतनवृद्धि	(1)	उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो एक पद पर 10 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते है, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाय।
प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगला वेतनमान	(2)	उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 06 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा सहित कुल 16 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और संबंधित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/ पद जिनके लिये प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है। किन्तु किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 12 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 04 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान की अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना अनिवार्य होगा। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पर पर वह नियमित किया जायेगा।
द्वितीय वेतनवृद्धि	(3)	उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1 (2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा सहित कुल 21 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हुए है, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान में उक्त सेवावधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 20 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 04 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त उसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

-4

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर– 2(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 05 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा सहितन्यूनतम 26 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

वेतन निर्धारण/पुनर्निधारण

2– समयमान वेतनमान की उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/द्वितीय वेतनवृद्धि तथा प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक/अगला वेतनमान अनुमन्य होने पर उपर्युक्त लाभ की अनुमन्यता की तिथि से सम्बन्धिम कार्मिक का वेतन निम्न व्यवस्था के अनुसार काल्पनिक आधार पर निर्धारित करते हुए उसका वास्तविक लाभ दिनांक 01 जनवरी, 2006 से देय होगा :–

(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर–अ(1) तथा अ(3) अथवा ब(1) तथा ब(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहॉ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के बाद वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के वेतन के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर–अ(2) अथवा ब(2) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर–अ(4) अथवा ब(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रकम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रकम पर पुनर्निधारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय प्रोन्नीय/अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नीय/अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारण करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रकम पर पुनर्निधारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 01 जनवरी, 1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-22-ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रकम पर निर्धारित होगा और उसमें मूल नियम-22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। शासनादेश संख्या-प0मा0नि0-357/दस-21 (एस)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायेंगे।

-6

(10) यदि किसी कर्मचारी/अधिकारी को समयाविधि के आधार पर प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होने अथवा समयमान वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड होने के पश्चात् उसी वेतनमान में वास्तविक रूप से प्रोन्नति के फलस्वरूप आगामी समय बिन्दु पर उसका वेतन उस वेतन के बराबर या उससे कम हो जाता है जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति का अगला वेतनमान अनुमन्य होने की दशा में मिलता। ऐसे मामलों में जिस समय बिन्दु पर संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का वेतन उस वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो जाये जो उसे वास्तविक रूप से प्रोन्नति का वेतनमान अनुमन्य न होने की दशा में मिलता, उस समय बिन्दु पर वास्तविक प्रोन्नति वेतनमान में उसका वेतन पुनर्निधारण अगले स्तर पर होगा।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि 3— (1) ऐसे पदधारक जिनकी पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 13500 से कम है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जाये, तो उनके वेतन को उसमें अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतनवृद्धियॉं सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त सेवावधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू0 13500 से कम है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक दो वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या तीन होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को संबंधित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध 4–(1) उपर्युक्त प्रस्तर–अ(2) तथा अ(4) अथवा ब(2) तथा ब(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर संबंधित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नत हेतु उपलब्ध निम्नवत् पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो आवास अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–2405/9–आ–5–98–175ई/97, दिनांक 13–8–1998 के संलग्नक पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवावधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवावधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत होने क अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावेदन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग–दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या–761/कार्मिक–1–93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अर्न्तगत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30 जून, 1993 को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित कार्मिक के नियुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाय।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है, तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात की तिथि से देय सेवावधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ अनुमन्य नही होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान उच्च —8

वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नत के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये है, अतः वास्वतिक प्रोन्नत से इनकार करने वाले कर्मचारियों के माममलें में सेवा में वृद्धिरोध नही माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 01 जनवरी, 1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवावधि के आधार पर एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान दिनांक 01 जनवरी, 1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पूर्व मिल चुका है, तो उसे दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नही मिलेगा। उसे तत्पश्चात देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जायें। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 01 जनवरी, 1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं उनके लिए पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता होगी। प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5— समयमान वेतनमान की उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत प्रथम/ द्वितीय वेतनवृद्धि तथा प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक/अगला वेतनमान अनुमन्य होने पर तद्नुसार वेतन काल्पनिक आधार पर निर्धारित करते हुए उसका वास्तविक भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से किया जायेगा। दिनांक 01 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 2005 तक का कोई अवशेष देय नही होगा।

6— उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार समयमान वेतनमान स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। —9

7– ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रू0 8000–13500 या उससे अधिक है, के लिए समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक लागू रहेगी। इन प्रकरणों में भी दिनांक 01 जनवरी, 1996 एवं 31 दिसम्बर, 2005 के मध्य समयमान वेतनमान अनुमन्य हो जाने की दशा में समयमान वेतनमान में वेतन का निर्धारण काल्पनिक आधार पर करते हुए वास्तविक भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2006 से किया जायेगा। दिनांक 01 जनवरी, 1996 से 31 दिसम्बर, 2005 तक का कोई अवशेष देय नही होगा।

8– उक्त सुविधा तभी प्रदान की जायेगी जब सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों के बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर लिया जायेगा कि उनकी वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि वे इस पर आने वाले अतिरिक्त व्यय–भार को वहन करने में सक्षम है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता देय नहीं होगी।

9– ऐसे विकास प्राधिकरण, जिनके द्वारा राज्य सरकार से अथवा शासकीय गारण्टी के सापेक्ष विभिन्न वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण लिया गया है और वह इस ऋण का ब्याज सहित प्रतिदान निर्धारित समय सारणी के अनुसार नहीं कर रहे है अर्थात डिफाल्ट की स्थिति में है, वहॉं पर समयमान वेतनमान की उपर्युक्त सुविधा तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि वे अतिदेयों सहित ऋण की देय किश्तों का मय ब्याज भुगतान समय से न करने लगें, अर्थात जब तक उक्त श्रेणी के ऋण के डिफाल्ट की स्थिति बनी रहेगी, इस सुविधा का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

10– उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–2271/दस–09, दिनांक 18 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(हरमिन्दर राज सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/आठ–5–09–199ई/98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

– PTO